

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :- मनोज, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 65/2022

GCMS No. 2022/134

प्रार्थी

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
बनाम

अप्रार्थीगण

1. कैलाशचन्द पुत्र रामेश्वरलाल उर्फ सालाराम राव,
2. केसर पत्नी हीराराम वगैरह सबलपुरा

आदेश

दिनांक :- 06/07/2023

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक परिशिष्ट-"ए" व मौका पर्चा जिसमें सम्बन्धित खातेदार की सहमति के हस्ताक्षर/अंगूष्ठ निशान सहित एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम सबलपुरा पटवार मण्डल चारणवास तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 89, 93 में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार कुचामनसिटी ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है एवं कुछ अप्रार्थी/संबन्धित खातेदारों ने सहमति पत्र पर अपनी सहमति प्रदान की है। शेष अप्रार्थी/खातेदारों को इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये, बावजू इतला अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस प्रकार यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम सबलपुरा पटवार मण्डल चारणवास तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 89, 93 में मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट-"ए" व मौका पर्चा में वर्णितानुसार करावे। परिशिष्ट-"ए" व मौका पर्चा नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 06/07/2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(मनोज, RAS)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

